रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08052020-219314
CG-MH-E-08052020-219314

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2020/वैशाख 18, 1942
No. 167]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2020/VAISAKHA 18, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 8 मई, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/011.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

2. वे 1 जून, 2020 को प्रवृत्त (लागू) होंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में संशोधन

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में, -

   I. अनुसूची V में, भाग ख में, खंड 3 में, उप-खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

   "(1क) नकदी खंड (कैश सेगमेंट), इक्विटी व्युत्पन्नी खंड (इक्विटी डेरिवेटिव्ज़ सेगमेंट), मुद्रा व्युत्पन्नी खंड (करंसी डेरिवेटिव्ज़ सेगमेंट), ब्याज दर व्युत्पन्नी खंड (इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्ज़ सेगमेंट) और कमोडिटी

व्युत्पन्नी खंड (कमोडिटी डेरिवेटिव्ज़ सेगमेंट) [कृषि कमोडिटी व्युत्पन्नी (एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव) को छोड़कर] में क्रियाशील प्रत्येक स्टॉक दलाल, जो उप-खंड 1 के अनुसार अपने व्यापारावर्त (टर्नओवर) के प्रतिशत के रूप में फीस अदा करने का दायी है, 1 जून, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि हेतु, उसमें निर्धारित फीस {जिसमें उनके द्वारा बाजार से परे किए जाने वाले लेनदेनों (संव्यवहारों) [ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन्स] हेतु देय फीस भी शामिल है} का केवल 50% (पचास प्रतिशत) ही अदा करेगा।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में संशोधन

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में, -

I. अनुसूची-III में, खंड 2(क) में दी हुई मौजूदा सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित सारणी 1 जून, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि हेतु अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

"

निर्गम (इश्यू) का आकार [जिसमें अति-अभिदान (ओवर सब्स्क्रिप्शन) का वह हिस्सा भी शामिल है जितना रखे जाने का इरादा हो]	***फीस की रकम / दर***	***भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अभिमत पत्र (संप्रेक्षण पत्र / ऑब्जर्वेशन लेटर) की समाप्ति के बाद एक वर्ष के भीतर फाइल करने हेतु फीस की रकम / दर***
दस करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर	*पचास हजार रुपये (50,000/-) का सपाट प्रभार (शुल्क)*	*पच्चीस हजार रुपये (25,000/-) का सपाट प्रभार (शुल्क)*
दस करोड़ रुपये से अधिक, किंतु पाँच हजार करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर	*निर्गम (इश्यू) के आकार का 0.05 प्रतिशत*	*निर्गम (इश्यू) के आकार का 0.025 प्रतिशत*
पाँच हजार करोड़ रुपये से अधिक	*दो करोड़ पचास लाख रुपये (2,50,00,000/-) और पाँच हजार करोड़ रुपये (5000,00,00,000/-) से अधिक के निर्गम (इश्यू) के आकार के हिस्से का 0.0125 प्रतिशत*	*एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये (1,25,00,000/-) और पाँच हजार करोड़ रुपये (5000,00,00,000/-) से अधिक के निर्गम (इश्यू) के आकार के हिस्से का 0.00625 प्रतिशत*

"

II. अनुसूची-III में, खंड 2(ख) में दी हुई मौजूदा सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित सारणी 1 जून, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि हेतु अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

"

निर्गम (इश्यू) का आकार [जिसमें अति-अभिदान (ओवर सब्स्क्रिप्शन) का वह हिस्सा भी शामिल है जितना रखे जाने का इरादा हो]	***फीस की रकम / दर***	***भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अभिमत पत्र (संप्रेक्षण पत्र / ऑब्जर्वेशन लेटर) की समाप्ति के बाद एक वर्ष के भीतर फाइल करने हेतु फीस की रकम / दर***
दस करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर #	*पच्चीस हजार रुपये (25,000/-) का सपाट प्रभार (शुल्क)*	*बारह हजार पाँच सौ रुपये (12,500/-) का सपाट प्रभार (शुल्क)*
दस करोड़ रुपये से अधिक #	*निर्गम (इश्यू) के आकार का 0.025 प्रतिशत*	*निर्गम (इश्यू) के आकार का 0.0125 प्रतिशत*
# इसे 21 अप्रैल, 2020 से पच्चीस करोड़ पढ़ा जाए		

"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में संशोधन

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में,-

I. अनुसूची-V में, मौजूदा सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित सारणी 1 जून, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि हेतु अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

"

प्रस्ताव (ऑफर) का आकार	*फीस (रुपये में)*
दस करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर	*2,50,000/-*
दस करोड़ रुपये से अधिक, किंतु एक हजार करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर	*प्रस्ताव के आकार का 0.25 प्रतिशत*
एक हजार करोड़ रुपये से अधिक	*2,50,00,000/- और एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव के आकार के हिस्से का 0.0625 प्रतिशत*

"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा.23/2020-21]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th May, 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PAYMENT OF FEES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/011.—In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020.
2. They shall come into force on June 01, 2020.

Amendments to Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, ─

I. In Schedule V, in Part B, in clause 3, after sub-clause (1), the following shall be inserted, namely, -

"(1A) Every stock broker in cash segment, equity derivatives segment, currency derivatives segment, interest rate derivatives segment and commodity derivatives segment (other than agri commodity derivative) liable to pay fees as a percentage of their turnover as specified at sub-clause 1 shall, for the period June 01, 2020 to March 31, 2021, pay only 50% (fifty percent) of fees as calculated therein, including for off-market transactions undertaken by them."

Amendments to Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

4. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -

I. In schedule III, after the existing table in clause 2(a), the following table shall be inserted for the period from June 01, 2020 to December 31, 2020, namely,-

“

Size of the issue, including intended retention of oversubscription	***Amount / Rate of fees***	***Amount / Rate of fees for filing within one year after expiry of SEBI Observation letter***
Less than or equal to ten crore rupees.	*A flat charge of fifty thousand rupees (50,000/-).*	*A flat charge of twenty five thousand rupees (25,000/-).*
More than ten crore rupees, but less than or equal to five thousand crore rupees.	*0.05 per cent. of the issue size.*	*0.025 per cent of the issue size.*
More than five thousand crore rupees.	*Two crore fifty lakh rupees (2,50,00,000/-) plus 0.0125 per cent. of the portion of the issue size in excess of five thousand crore rupees (5000,00,00,000/-).*	*One crore twenty five lakh rupees (1,25,00,000/-) plus 0.00625 per cent. of the portion of the issue size in excess of five thousand crore rupees (5000,00,00,000/-).*

”

II. In schedule III, after the existing table in clause 2(b), the following table shall be inserted for the period from June 01, 2020 to December 31, 2020, namely,-

“

Size of the issue, including intended retention of oversubscription	***Amount / Rate of fees***	***Amount / Rate of fees for filing within one year after expiry of SEBI Observation letter***
Less than or equal to ten crore rupees#	*A flat charge of twenty five thousand rupees (25,000/-).*	*A flat charge of twelve thousand five hundred rupees (12,500/-).*
More than ten crore rupees#	*0.025 per cent. of the issue size.*	*0.0125 per cent of the issue size.*
# to be read as twenty-five crores with effect from April 21, 2020		

”

Amendments to Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018

5. In the Securities And Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 -

   I. In schedule V, after the existing table, the following table shall be inserted for the period from June 01, 2020 to December 31, 2020, namely,-

“

Offer Size	***Fee (Rupees)***
Less than or equal to rupees ten crore	*2,50,000/-*
More than rupees ten crore but less than or equal to rupees one thousand crore	*0.25 per cent of the offer size*
More than rupees one thousand crore	*2,50,00,000/- plus 0.0625 per cent of the portion of offer size in excess of rupees one thousand crore*

”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./23/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.05.08 21:08:53 +05'30'